

४ फरवरी, १९७५ को प्रातः १०-३० बजे  
दिनांक ~~२१-१०-१९७४~~ अपरान्ह आयुक्त,

लखनऊ मंडल के कार्यालय-कक्षा में होने वाली लखनऊ विकास  
प्राधिकरण की बैठक की कार्यसूची ।

-----

- १- प्रारम्भिक: (१) दिनांक २१-१०-१९७४ की बैठक की कार्यवाही की पृष्टि ।
- २- सम्पत्ति विभाजन: (२) लखनऊ नगर महापालिका एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य सम्पत्ति विभाजन पर विचार ।
- ३- अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग के मामले:
  - (३) विकास प्राधिकरण हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवश्यक पदों के सृजन पर विचार ।
  - (४) लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक एसीशिएट।प्लानर की रू० ८००-१५०० के वेतनक्रम में नियुक्ति ।
  - (५) लखनऊ नगर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण दोनों का कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय से संबंधित मामले पर विचार ।
  - (६) विकास प्राधिकरण के सचिव तथा मुख्य लेखाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अमुक्त अधिकारियों को प्राधिकृत करने के प्रश्न पर विचार ।
  - (७) विकास प्राधिकरण की ओर से अनुबन्ध करने का अधिकार धारा ५१(२) के अन्तर्गत उप प्रशासक को प्रतिनिहित करने के सम्बन्ध में विचार ।
- ४- लेखा प्रणाली: (८) लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखों आदि के रख-रखाव की अन्तरिम व्यवस्था पर विचार ।
- ५- उपविध्याः: (९) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अदर्शासकीय पत्र संख्या ११४४७।२२ टी०पी०।लखनऊ-विकास प्राधिकरण।टी०सी०पी०। ७४ दिनांक २०-१२-७४ में उल्लिखित सूझावों तथा उपाध्यक्षा की टिप्पणी पर विचार ।
- ६- भू-उपयोग में परिवर्तन पर सामान्य नीति: (१०) लखनऊ-कानपुर मार्ग पर स्थित ग्राम गौरी तथा गहरा में औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए लखनऊ महायोजना में संशोधन ।

- (११) मधुवन कोपारटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए लखनऊ-सीतापुर मार्ग पर स्थित ग्राम पूरनिया में निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु कंट्रोलिंग अथारिटी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ द्वारा गठित उप-समिति की दि० १२-८-७४ की रिपोर्ट के साथ विचार।
- (१२) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की तालकटोरा रोड स्ट्रीट योजना के भू-उपयोग बन्द करने से संबंधित मामले पर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा गठित उप-समिति की दि० १२-८-७४ की रिपोर्ट के साथ विचार।
- (१३) निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश के कार्यालय स्थित, वै रोड द्वारा प्रस्तुत भवन-चित्र पर लैन्ड यूज से कूट दिये जाने विषयक, उद्योग सचिव के अद्वितीय पत्र संख्या ६३२२। १८-२२ दिनांक १६-१२-७४ पर विचार।
- (१४) क्वीन्टन रोड स्थित जै भारत सिनेमा भवन के बारे में श्री रतन कुमार व अन्य को लैन्ड यूज से कूट दिये जाने तथा मान-चित्र की स्वीकृति विषयक प्रार्थना-पत्र पर विचार।

७-विविध:

- (१५) अलीगंज मार्ग एवं नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर की दर निर्धारित किया जाना।
- (१६) डा० वी०एन० वर्मा रोड, कजीरगंज वार्ड, में जमीयत बिल्डिंग के जनरल सैकेट्री जमीयत उलमाए उ०प्र० लखनऊ द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण करने पर विचार।
- (१७) श्री मो० हाशिम मुतवल्ली शेख कादिर बरखा ट्रस्ट द्वारा रकाबगंज चौराहे के निकट अनधिकृत दुकानों के निर्माण पर विचार।
- (१८) चारबाग में म्युनिसिपल ग्लूनाक मार्केट के निकट इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के परिष्कार की ओर पड़े हुए खुले भू-भाग के ले आउट प्लान पर विचार एवं निर्णय।

99

-३-

- (१६) गोमती तट की सी०डी०आर०आर० से लेकर डाली गंज पुल तक की विकास योजना के कारीन्द्र पर विचार ।
- (२०) अद्यत्ता की अस्मति से अन्य कारीन्द्र

दुर्गेश। -

मद सं०  
(२)

१४

लखनऊ नगर महापालिका एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य सम्पत्ति विभाजन पर विचार ।

---0---

उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ के प्रभावी होने के फलस्वरूप लखनऊ नगर महापालिका तथा विकास प्राधिकरण के मध्य चल तथा अचल सम्पत्तियों का विभाजन होना है । इसी के साथ नगर महापालिका लखनऊ द्वारा संचालित विकास सामान्य निधि, गन्दो बरती वातावरण सुधार योजना, अलोगंज आवास तथा कन्ट्रोलिंग अथारिटी निधियों का स्थानान्तरण होना है । इन निधियों में कैश, पावने तथा दायित्वों की १२-६-७४ की स्थिति संलग्नक (क) में दर्शित है ।

नगर महापालिका द्वारा निर्मित भवन, बाजार इत्यादि नगर महापालिका में ही निहित रहेंगे । समस्त आवासीय एवं अन्य योजनाओं, जिनमें औद्योगिक क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, को भूमि एवं उसके दायित्व विकास प्राधिकरण में १२-६-७४ से स्थानान्तरित समझे जायेंगे । ऐसी योजनाओं की सूची संलग्नक (ख) में तथा उनके मानचित्र संलग्नक (ग) में दर्शित हैं ।

विकास प्राधिकरण कृपया उक्त तीनों संलग्नकों में वर्णित सम्पत्तियों के हस्तान्तरण का अनुमोदन करने का कष्ट करें ।

---

संलग्नक क ११  
Detailed statement of Cash Assets and Liabilities of Avas and Vikas Funds as on 12.9.1974

Items of liabilities	Avas Fund	Vikas fund		Controlling Authority	Items of assets.	Avas Fund	VIKAS FUND		Cont. Auth. Fund.
		General	Slum				General	Slum	
Unspent balance of loan	12,61,891	10,20,000	-	-	Cash balance	6,17,035	3,68,643	34,99,867	930-0
Grants	-	1,93,875	45,01,867	-	Investment advances:	10,00,000	-	-	-
Unpaid Interest and Instalments	-	63,71,137	-	-	with officers	2,000	2,175	2000	-
Unpaid claims	-	1,00,573	-	-	with employees	-	1,01,426	-	-
Matching contribution of Rakabganj bridge grant	-	1,93,875	-	-	with Mahapalika	2,00,000	6,11,184	10,00,000	-
					Total:-	18,19,035	10,83,428	45,01,867	930
Reparals	3,00,000	28,027	-	1,91,623	Difference of Assets and Liabilities	2,57,144	(-68,49,059)	-	(-190693)
Reserve Balance	-	25,000	-	-					
<b>TOTAL:</b>	<b>15,61,891</b>	<b>79,32,487</b>	<b>45,01,867</b>	<b>1,91,623</b>	<b>Total</b>	<b>15,61,891</b>	<b>79,32,487</b>	<b>45,01,867</b>	<b>1,91,623</b>

Note:

1. Unpaid outstanding loans taken for Vikas building are not included in the statement
2. Information regarding Mahapalika buildings and loans thereof have also not been included.
3. The unpaid amount of loans received in Vikas/Avas is Rs. 1,30,27,792/- and Rs. 31,47,048 respectively this figure is subject to verification of A.G.U.P., Allahabad
4. The loans taken by Mahapalika for buidings is not included herein the statement.

STATEMENT OF SCHEMES WITH THE APPROXIMATE AREA

Sl.No.	Name of scheme	Area acquired			
		B.	B.	B.	K
1.	Daliganj	11	15	17	8
2.	Risaldarbagh	5	2	3	18
3.	Chowk Open spaces	5	11	17	18
4.	Industrial Area	442	9	7	12
5.	T.G.New Civil Lines	238	16	19	2
6.	Barud Khana	11	6	6	9
7.	Hezratganj	17	14	14	5
8.	Canning Street part I.	18	2	3	2
9.	Sanitary Road 6th Section	31	15	18	1
10.	Mawaiya	212	13	6	5
11.	T.G.Iradatnagar	3	12	18	7
12.	Saadatganj	4	11	11	5
13.	Birhana	16	16	0	8
14.	Havelock Road	233	0	0	0
15.	Vegetable seller Market	2	9	18	0
16.	Canning Street Part III	12	14	5	7
17.	<del>Barud</del> Barud Khana additional	0	11	5	9
18.	La Place	25	4	4	3
19.	Canning Street Part II	2	9	7	18
20.	Afforestation	536	16	5	4
21.	Kaliji Street	1	12	17	9
22.	Naka Hindola	4	14	4	16
23.	T.G.New Civil Lines Bund	17	14	19	7
24.	Daliganj IInd Additional scheme	0	6	16	13
25.	Qandhari Bazar general Improvement scheme	0	5	6	6
26.	Revised Marris Market ext.sch eme	1	4	6	8
27.	T.G.North Chandganj H.A.Scheme	176	13	3	18
28.	Fatehpur, Qutubpur Iradatnagar and Hasanganj H.A.Scheme	140	0	0	0
29.	Bashiratganj H.A.Scheme	150	0	0	0
30.	Bashiratganj G.I.&H.A.Scheme	3	15	10	0
31.	Putram Road (Paper Mills)	280	0	0	0
32.	Ahata Khuda Bux Rehousing scheme	1	18	9	19
33.	Napier Road street scheme(part I)	20	0	0	0
34.	Napier Road street scheme (part II)	45	0	0	0
35.	Nakhas G.I.&Re housing scheme	4	11	2	5
36.	Sheetal Khara street and rehousing scheme	3	0	10	0
37.	Mahanagar extension scheme	150	0	0	0

95

38. Bagh Mirza Jumma scheme	3-12-11-9
39. Billochpura scheme	4-9-0-0
40 Karbala Malka Jahan street scheme	7-0-0-0
41. Crommelin Road	5-16-7-7
42. Mahanagar Scheme	1963-0-0-0

---

NEW SCHEMES

1. Ahata Sarjoo Pd. slum clearance and rehousing scheme	1-9-17-3
2. Ahata Lachman Dass slum clearance rehousing scheme	1-0-0-4
3. Ahata Rani Sahib Slum clearance and rehousing scheme	1-0-0-0
4. Ahata Rasool Khan slum clearance and street scheme	3-0-0-0
5. Aliganj street and city expansion scheme	1106-0-0-0

---

पद सं-३: विकास प्राधिकरण हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवश्यक पदों के सृजन पर विचार ।

-----

उत्सर्जन विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत विभागों एवं अनुभागों के गठन का भाटी प्रस्तावित पदों के विवरण सहित सलग्न है। प्राधिकरण कृपया सलग्नक में उल्लिखित पदों के तत्काल से सृजित किये जाने की स्वीकृति देने का कष्ट करे।

1.

LUCKNOW VIKAS PRADHIKARAN

YOJANA VIBHAG

2.

3.

SAMPATTI VIBHAG

ABHIYANTRAN VIBHAG

ABHIYOGAN ANUBHAG  
(Formulation wing)  
for  
Master and zonal  
plans

VASTU NIYANTRAN EVAM  
BHAWAN ANUBHAG  
(Enforcement Wing for  
Master & zonal plans  
& building laws)

VIKAS VIBHAG

AVAS VIBHAG

Sampatti Abhilekh  
Anubhag

Patta Anubhag  
(Sanction, renewal,  
revocation and  
termination of  
leases)

Sangrah Anubhag  
(Lease rent /  
premium  
collection)

4.

LEKHA (ACCOUNTS)  
VIBHAG

5.

SAMANYA PRASASAN  
VIBHAG

N.B.

1. Administrative Branch

- (a) General Office including publicity
- (b) Property Section

2. Engineering Branch

- (a) Development and Land acquisition Section
- (b) Avas
- (c) Building section- Enforcement of Master and zonal plans and building regulations
- (d) Planning Section - Formulation of Master & zonal plans .
- (e) Survey section ( on deputation from P.W.D.)

3. Accounts Branch

- (a) Accounts Section
- (b) Treasury

92

1. Secretary	1
2. Up Nagar Adhikari	1
3. Sahayak Nagar Adhikari	1
4. Chief Accounts Officer	1
5. Asstt. Accounts Officer	1
6. Chief Engineer	1
7. Development Engineers	3
8. Associate Planner	1
9. Asstt. Engineer	3
10. Overseers	38
11. Computers	2
12. Draftsman	4
13. Surveyors	2
14 Tracer	2
15. Ferro boy	2
16. Office Supdt.	1
17. Supdt. Property	1
18. Head Clerks	6
19. Ist Grade Clerks	12
20. 2nd grade clerks	24
21 Accountant	1
22. Asstt. Accountant	2
23. Accounts Clerks	6.
24. Stenographers	9
25. Record Keeper	1
26. Form Keeper	1
27 Store Keeper	1
28. Typist	10
29. Daftari	3
30. Orderly	9
31 Chowkidars	2
32 Peons	25

मद संघ  
(४)  
-----

लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक एसोसियेट प्लानर की रु०८००-१४५० के वेतनक्रम में नियुक्ति ।

---0---

आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, निवास अनुभाग-२ के पत्र संख्या ५१६०।३७-२-१३ डी०ए०।७४, दिनांक २१ नवम्बर, १९७४ तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश के पत्र सं० ११७३१।२२।टीपी। ल०वि०प्रा०मी०टिंग।टी०पी०।७४, दिनांक २८-१२-७४ के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए वर्तमान मास्टर प्लान को संशोधित करने, जॉनल प्लान बनाने तथा विभिन्न विकास योजनाओं का मानचित्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक प्लानर को नियुक्ति विकास प्राधिकरण में की जाय और विकास प्राधिकरण के लिए एक प्लानिंग सेल बना दिया जाय । चूंकि अथाभाव के कारण बहुत अधिक स्टाफ इस समय रखा जाना सम्भव नहीं है अतः एक एसोसियेट प्लानर को नियुक्ति हेतु ८०० से १४५० के वेतनक्रम में एक पद के सृजन की स्वीकृति विकास प्राधिकरण प्रदान करने का कष्ट करें ।

---

90

मद सं०  
(५)

लखनऊ नगर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण दोनों का कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित मामले पर विचार ।

---0---

उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ की धारा ५(1) के अन्तर्गत सचिव तथा मुख्य लेखाधिकारी के पदों पर शासन द्वारा नियुक्तियाँ की जानी हैं । इन पदों पर अन्तरिम रूप से शासन के आदेश प्राप्त होने तक उम प्रशासक तथा लेखाधिकारी नगर महापालिका कार्य कर रहे हैं । मुख्य अभियन्ता भी नगर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण का कार्य देख रहे हैं । उक्त तीनों अधिकारी महापालिका से यथावत् वेतन इत्यादि पाते रहेंगे । विकास प्राधिकरण द्वारा उनके वेतन आदि पर ११-६-७४ से हुये व्यय की ५० प्रतिशत पूर्ति नगर महापालिका को कर दी जाय । इस आशय का विकास प्राधिकरण के बजट में प्राविधान भी कर लिया जायेगा ।

---

89

पद सं० ६ : विकास प्राधिकरण के सचिव तथा मुख्य लेखाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अमुक्त अधिकारियों को प्राधिकृत करने के प्रश्न पर विचार ।

अभी शासन द्वारा विकास प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी के नियुक्ति के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। जब तक शासन के आदेश प्राप्त नहीं हो जाते तब तक विकास प्राधिकरण कृपया नगर महापालिका के उप प्रशासक एवं लेखा अधिकारी को क्रमशः सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी के पद पर कार्य करने के लिये प्राधिकृत करने का कष्ट करे।

88

नद सं०  
(७)  
-----

विकास प्राधिकरण की ओर से अनुबन्ध करने का अधिकार धारा ५१(२) के अन्तर्गत उप प्रशासक को प्रतिनिहित करने के सम्बन्ध में विचार :

---0---

लक्ष्मण विकास प्राधिकरण की ओर से विभिन्न पदाँ से विधिवत् जो भी अनुबन्ध (एंग्रामेंट) किये जायेंगे, उनके लिये किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना आवश्यक है। चूंकि उप-प्रशासक फिलहाल विकास प्राधिकरण के सचिव के रूप में कार्य करते रहेंगे अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ की धारा ५१(२) के अन्तर्गत उन्हें विधिवत् सभी अनुबन्ध करने का अधिकार प्राधिकरण कृपया प्रतिनिहित करने का कष्ट करें।

---

मद सं०  
(८)

लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखों आदि के रख-रखाव की अन्तरिम व्यवस्था पर विचार ।

—0—

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५६ की धारा १५३ के अन्तर्गत शासन द्वारा बनाये गये लेखा नियमों को निम्नलिखित संशोधनों सहित अन्तरिम रूप में विकास प्राधिकरण में लेखों के उचित रख-रखाव हेतु लागू कर दिया जाय ।

### पुस्तकालय संशोधन

- १- लेखा नियमावली में जिन स्थानों पर "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५६", "नगर महापालिका", "मुख्य नगर अधिकारी", "लेखाधिकारी" हैं उनके स्थान पर क्रमशः "उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३", "विकास प्राधिकरण", "उपाध्यक्ष", "मुख्य लेखाधिकारी" सम्मत्त जाये । इसी प्रकार नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, विशिष्ट सदस्य, सदस्य के स्थान पर प्राधिकरण के अधिकारिगण, कर्मचारी तथा सदस्य पढ़ा जाये ।
- २- नगर महापालिका निधि के स्थान पर "लखनऊ विकास प्राधिकरण निधि" (एल०यू०डी०ए० फण्ड) सम्मत्त जाये ।
- ३- लेखा नियमों में जो महापालिका के आय व्यय के स्रोतों का उल्लेख है, उन स्थानों पर विकास प्राधिकरण के स्रोतों का समावेश सम्मत्त जायेगा, तथा महापालिका स्रोत हटाये गये सम्मत्त जायेंगे ।
- ४- विभागीय अध्यक्ष केन्द्रीय विभाग वहाँ सम्मत्त जायेंगे जो उपाध्यक्ष निर्दिष्ट करें ।
- ५- नियमों में "कर", "लाइसेंस", "चुंगी" के स्थान पर प्राधिकरण आय स्रोत सम्मत्त जायें तथा नगर महापालिका अधिनियम १९५६ की धाराओं का जहाँ संदर्भ हो उनके स्थान पर नगर योजना और विकास अधिनियम को तत्सम्बन्धी धाराओं का (यदि हों) समावेश सम्मत्त जायेगा अन्यथा निरस्त सम्मत्त जायेगा ।
- ६- नियमों में कार्यकारिणी समिति के स्थान पर उपाध्यक्ष तथा विकास निधि के स्थान पर लखनऊ अरब डेवलपमेन्ट अथारिटी फण्ड सम्मत्त जाये ।
- ७- लेखा नियमों के वह समस्त नियम, शब्द, इत्यादि जो नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ में निर्दिष्ट धाराओं के विपरीत या असंगत हो वह हटाये गये सम्मत्त जायेंगे ।
- ८- यथा संशोधनों का समावेश नियमों में निर्धारित प्रपत्रों पर भी होगा । वह प्रपत्र जो अधिनियम के विपरीत अथवा असंगत या अनावश्यक हों हटाये गये सम्मत्त जायें ।

भद्र सं० (१) उपाध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण (नगर महापालिका लखनऊ), लखनऊ  
को सम्बोधित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अद्वितीय पत्र  
संख्या ११४७७।२२-टीपी।लखनऊ-विकास प्राधिकरण।टी०सी०पी०।७४ दिनांक २०-१२-७४  
की प्रतिलिपि।

-----

कृपया आप अपने अंशगत पत्र सं० १(1) प्रशा० उपा०।ल० वि० प्राधि०  
दिनांक २-११-१९७४ का जो लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं महापालिका के बीच  
कठिनाई स्थापन, घन आदि के सीमांकन के विषय में है, का अवलोकन करें।

उपरोक्त पत्र के साथ दिनांक २१ अक्टूबर १९७४ को हुई बैठक के एजेन्डे में,  
उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा ५६ एवं ५७ के अधीन  
प्रस्तावित कर्षण विनियम एवं उपविधियों के प्रारूप भी इस आशय के साथ प्राप्त  
हैं कि मैं उसमें प्रस्तावित उपविधि २७ पर अपने सुझाव दूँ।

उपविधि २७ पर अपने सुझाव देने से पहले मैं प्रस्तावित विनियम एवं  
उपविधियों के विभिन्न आइटम के विषय में भी अपने निम्नलिखित विचार आपके  
सावधानी रखना चाहता हूँ।

प्रस्ताव विनियम सं० ५ में यह उल्लेख किया गया है कि लखनऊ नगर की  
महायोजना एवं उसके अन्तर्गत परिदात्रीय विकास योजनाओं का बनाने का कार्य  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा किया जायगा। इसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय  
है कि लखनऊ विनियमित क्षेत्र की एक महायोजना जो आ०बी०आ० एक्ट १९५८  
तथा नगर महापालिका अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत बनाया गया था उस पर शासन  
से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसी महायोजना के आधार पर नियत प्राधिकारी  
विकास से सम्बन्धित निर्णय देते आ रहे हैं।

वर्तमान काल में वर्तमान महायोजना उ०प्र० नगर योजना और विकास  
अधिनियम १९७३ की धारा ५६ के संशोधन को ध्यान में रखते हुए तब तक कार्यान्वित  
होती रहेगी जब तक विकास प्राधिकरण महायोजना के प्रस्तावों में नियमानुसार  
कोई परिवर्तन नहीं करता है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि उ०प्र० नगर योजना एवं  
विकास अधिनियम १९७३ की धारा ११ में यह निर्दिष्ट है कि योजना तैयार करने का  
कार्य विकास प्राधिकरण को स्वयं ही करना है। विकास प्राधिकरण को अपने इस  
कृत को किसी और एजेंसी द्वारा सम्पादित किये जाने के निदेश प्रसारित किये जाने  
के अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः मेरा यह सुझाव है कि विकास प्राधिकरण के  
अन्तर्गत अविलम्ब एक सीनियर आर्किटेक्ट एवं टाउन प्लानर के अन्तर्गत टाउन  
प्लानिंग सेल सृजित कर दिया जाय। यह सेल महायोजना, परिदात्रीय विकास योजना  
तैयार करने के अतिरिक्त भवनों तथा उपनिवेशों के तकनीकी निरीक्षण का कार्य तथा  
भवनों के डिजाइन आदि तैयार करने का कार्य करेगा। इस सेल में क्या स्टाफिंग  
पैटर्न होगा इसका विवरण मैं अलग से तैयार कर रहा हूँ जिसे आपकी सेवा में शीघ्र

85

ही प्रेषित करणगां।

प्रस्तावित उपविधि संख्या ८ में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा नक्शे इत्यादि बनाने के लिये शुल्क दरों का विवरण है। इस विषय में मुझे यह कहना है कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं तथा विकास प्राधिकरण के केवल सदस्य हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तलपट मानचित्र तथा भवन मानचित्र आदि बनाने की फीस शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित होती रहती है, इनका विवरण भी उपविधियों में नहीं होना चाहिए।

उपविधियां १५ से २६ तक में सड़क की अपेक्षाओं, छुटे स्थानों मार्गों तथा सड़क के चौड़े का प्रतिशत, छुटे स्थानों का उपयोग, विकास के लिये स्थल की उपयुक्तता भू-खण्ड का न्यूनतम आकार, प्रत्येक भू-खण्ड पर भवन की संख्या प्रांगण तथा बनाने से छोड़ी गई भूमि की सीमाएँ, स्थल छादन, वास योग्य कमरे का न्यूनतम आकार, ऊंचाई तथा वस्तु नियन्त्रण इत्यादि का विवरण दिया गया है। अधिनियम की धारा २९ (Power to make by laws) में उपरोक्त विषयों पर उपविधियां बनाने जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः मुझे सन्देह है कि धारा में दून्हें बनाया जाना नियमानुसूल होगा। उपरोक्त विषयों का विवरण परिदात्रीय योजनाओं के अन्तर्गत अधिनियम की धारा ६(२) में दिया गया है। अतः दून्हें परिदात्रीय योजनाओं के अन्तर्गत ही निर्धारित किया जाना चाहिए जो महायोजना के अन्तर्गत पर बनाई जायेंगी। अब तक परिदात्रीय योजनाएँ तैयार नहीं हो जाती हैं तब तक उपरोक्त विषयक उपविधियां धारा ५६ की उपधारा १ (ग) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उन्नत प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ के लागू होने से पहले अपनाये गये नियमों के आधार पर ही कार्य करते रहने उचित होगा।

उपविधि २७ जो मानचित्र तैयार करने हेतु पंजीकरण व लाइसेंस फीस के विषय पर है, के सम्बन्ध में मेरे विचार निम्नलिखित हैं:-

सर्वेयर के द्वारा किये जा सकने वाले कार्यों में १३५ वर्गमीटर तक के गृह तल चोत्रों के भवनों का निर्माण सम्बन्धी निरीक्षण नहीं होना चाहिए।

अर्हता प्राप्त रेखाकार की योग्यताएँ जो आपने प्रस्तावित की हैं, उसके अन्तर्गत इसे अर्हता प्राप्त ड्राफ्ट्समैन कहना अधिक उचित होगा। इनके द्वारा किये जा सकने वाले कार्यों में केवल ६६ वर्ग मीटर गृह तल चोत्रफल तक के भवनों की रूप रेखा व साइट प्लान इत्यादि तैयार करने व भवन निर्माण सम्बन्धी निरीक्षण करने की अनुमति होनी चाहिए। २७० वर्ग मीटर के चोत्रफल तक के भवनों के लिये इनके द्वारा उपरोक्त कार्य किया जाना उचित नहीं होगा।

अनर्हित रेखाकार जिसे अनर्हित ड्राफ्ट्समैन कहना अधिक उचित होगा के द्वारा किये जा सकने वाले कार्यों में केवल ५० वर्ग मीटर तक के गृह तल चोत्रफल वाले भवनों के लिये उपयुक्त कार्य की अनुमति देना ठीक होगा।

१५

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अधीनस्थकीय पत्र संख्या ११४४/२२-टी पी।  
लखनऊ-विकास प्राधिकरण। टी सी पी। ७४, दिनांक २०-१२-१९७४ में उल्लिखित सुझावों  
पर उपाध्यक्ष की टिप्पणी।

-----

विनियम ५ के सचबन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आपत्ति यह है कि नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा ११ के अनुसार योजना तैयार करने का कार्य प्राधिकरण को स्वयं ही करना है, उसे अपने इस कृत्य को किसी और एजेंसी द्वारा सम्पादित किये जाने के निदेश प्रसारित किये जाने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

इस संबंध में पहली बात तो यह है कि प्राधिकरण की धारा ५१(२) के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह विनियम तथा उपविधियों बनाने की शक्ति के सिवाय अन्य शक्तियां किसी अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विनियम ५ में योजनाएं बनाने की केवल प्रक्रिया ही दी है, इस कृत्य का कोई प्रतिनिधान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को नहीं किया गया है। शासन ने भी निवास अनुभाग-२ के पत्र संख्या ५१६०।३७-२-१३ डी०ए०।७४, दिनांक २१ नवम्बर, १९७४ के पैरा ५ में यह कहा है कि लखनऊ में विकास प्राधिकरण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक खण्ड देने की कोशिश की जा रही है ताकि वह मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की दिगरानी में क्षेत्रीय योजना बनवा सके और खूब भूमि का सर्वेक्षण भी कर ले। इस प्रकार सरकारी आदेशों के अनुसार योजनाओं के निर्माण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करनी है। उपरोक्त सरकारी आदेश में विकास प्राधिकरण को एक आर्किटेक्ट प्लानर नियुक्त करने की आवश्यकता का उल्लेख है। इस संबंध में कार्य सूची की मद ४ पर विचार किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि एक आर्किटेक्ट या प्लानर क्षेत्रीय विकास योजनाओं के निर्माण के लिए बिल्कुल अपर्याप्त होगा। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने प्राधिकरण के अन्तर्गत एक टाउन प्लानिंग सेल को सृजित करने का सुझाव दिया है जो महायोजना, परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने के अतिरिक्त भवनों तथा उपनिवेशों के तकनीकी निरीक्षण का कार्य तथा भवनों के डिजाइन आदि तैयार करने का कार्य करेगा। अभी इस सेल के स्टाफिंग पैटर्न के बारे में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के विचार प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः ठीक ठीक यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इसमें कितना व्यय होगा। इतना स्पष्ट है कि यह एक बृहत् संगठन होगा जिसका सृजन प्राधिकरण के विनीय संरचनाओं को देखते हुए उचित नहीं होगा और कदाचित् इसके लिए शासन की स्वीकृति मिलना भी कठिन होगा।

उपविधि सं० ८ उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश, १९६० के निदेश सं० ७ के अनुसार है। शेष उपविधियों में दोषफल की ब्रिटिश इकाइयों के स्थान पर दशमलव इकाइयों का प्रयोग किये जाने के कारण निदेश संख्या ७ में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई और उसे उपविधि सं० ८ के रूप में रख दिया गया। निदेश सं० ७ में कोई संशोधन नहीं हुआ है और यह स्पष्ट है कि किसी परिनियत निदेश में कार्यकारी

83

आदेशों से परिवर्तन नहीं हो सकता। नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा ५६(१)(ग) के अनुसार निदेश सं० ७ में दी हुई दरें आज भी कायम हैं और कोई व्यक्ति आज भी उक्त दरों पर नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग को नक्शे तथा विवरण पत्र तैयार करने के लिए बाध्य कर सकता है। इसमें यह संशोधन बढ़ाया जा सकता है कि यदि शासन द्वारा दरों में परिवर्तन किया जाता है तो विकास प्राधिकरण लखनऊ की उपविधि ८ में तदनुसार दरें लागू मानी जायेंगी। निदेश सं० ७ में संशोधन के समय उपविधि ८ में भी संशोधन किया जा सकता है।

उपविधि १५-१६ के संबंध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आपत्ति यह है कि अधिनियम की धारा ५७ में उनसे संबंधित विषयों पर उपविधियां बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। यह अधिकार प्राधिकरण को अधिनियम की धारा ५७ के खण्ड (ड०), जो अध्यादेश की धारा ३३ के खंड (२) द्वारा जोड़ा गया है, से प्राप्त है। परिकेंद्रीय विकास योजनाओं के निर्माण में पर्याप्त समय लगने की संभावना है अतः धारा ६(२) में उल्लिखित विषयों के विनियमन के लिए उस समय तक प्रतीक्षा करना समीचीन न होगा जब तक परिकेंद्रीय विकास योजनाओं का निर्माण न हो जाय। जहां तक धारा ५६(१)(ग) के अन्तर्गत जारी रखे गये विनियमों एवं निदेशों के अनुसार कार्य चलाने का सुझाव है, उस संबंध में यह कहना है कि उक्त धारा के अनुसार आ०बी०ओ० ऐक्ट के अधीन बने उन्हीं निदेशों और विनियमों को जारी रखा गया है जो नगर योजना और विकास अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों। यद्यपि विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम एवं उपविधियां अधिकतर आ०बी०ओ० ऐक्ट के पातहत बने निदेश और विनियमों के आधार पर ही हैं किन्तु उनमें नये अधिनियम से असंगत उपबन्धों को हटा दिया गया है और कुछ नवीनताएं भी समाविष्ट की गयी हैं। असंगत उपबन्धों को पृथक न करने के कारण काफी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है क्योंकि अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रमुख दायित्व उन अधिकारियों व कर्मचारियों पर है जो इंजीनियरिंग की योग्यता रखते हैं किन्तु कानून की बारीकियों से अधिक परिचित नहीं हैं। अतः यह आवश्यक है कि विकास प्राधिकरण के विनियम व उपविधियां बन जायें और उनके अनुसार कार्य हो। विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विनियम व उपविधियां शासन की स्वीकृति के लिए भेजी गयी हैं। विकास प्राधिकरण को अन्य कहीं विषयों पर विनियम व उपविधियां बनाना शेष है। उनका प्रारूप तथासमय विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

उपविधि २७, जो मानचित्र तैयार करने हेतु पंजीकरण व लाइसेंस तथा फीस के संबंध में है, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के विचार जानने हेतु प्राधिकरण की गत बैठक में स्थगित किया गया था। इस उपविधि के संबंध में मुख्य नगर तथा ग्राम नियोजक ने सुझाव दिये हैं उन पर प्राधिकरण को विचार करके निर्णय लेना है।

मद सं०  
(१०)

लखनऊ-कानपुर मार्ग पर स्थित ग्राम गौरी तथा गहरू में औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए लखनऊ महायोजना में संशोधन ।

---0---

लखनऊ कानपुर रोड पर स्थित ग्राम गौरी तथा गहरू में औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित भूमि उपयोग में परिवर्तन से सम्बन्धित मामले पर नियंत्रक प्राधिकारी को बैठक दिनांक २-४-७४ में विचार किया गया था तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गया :--

कानपुर रोड पर स्थित ग्राम गौरी तथा गहरू में औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित भूमि उपयोग में ग्रीन बेल्ट से औद्योगिक परिवर्तन से संबंधित मामले पर उप सचिव निवास अनुभाग-३ के पत्र दिनांक २१-१-७३ के साथ विचार किया गया । बैठक ने यह प्रस्ताव पास किया वृकि इतना बड़ा औद्योगिक केन्द्र स्थापित किया गया है अतः यह समावना है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग काम करने आवेंगे । अतः इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रीन बेल्ट को कुछ आवासीय तथा औद्योगिक प्रयोग हेतु रक्षता जाय ।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अगली बैठक में इस क्षेत्र का संशोधित प्लान नियंत्रक अधिकारी के समक्ष पेश करेंगे ।

नियंत्रक प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने इस क्षेत्र का लैण्ड यूज परिवर्तित करने हेतु एक प्लान तैयार किया है जो प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

---

81

मद सं०  
(११)

मधुवन को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के लिए लखऊ-सीतापुर मार्ग पर स्थित ग्राम पुरनिया में निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु कण्ट्रोलिंग अथारिटी, विनियमित क्षेत्र, लखऊ द्वारा गठित उप-समिति की रिपोर्ट के साथ विचार ।

--0--

मधुवन को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी हेतु लखऊ सीतापुर रोड पर स्थित ग्राम पुरनिया में निर्धारित भू-उपयोग के परिवर्तन से संबंधित मामला नियंत्रक प्राधिकारी को बैठक दिनांक २-४-७४ में पेश किया गया था तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गया था :--

लखऊ-सीतापुर रोड पर स्थित ग्राम पुरनिया में निर्धारित भू-उपयोग के परिवर्तन हेतु सात आपत्कित्तार्थियों की सुनवाई के सम्बन्धित मामले पर उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के साथ विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि निम्न सदस्यों की एक सब कमेटी नियुक्त की जाती है जो उपरोक्त मामले में आपत्कित्तार्थियों की सुनवाई करके अपनी रिपोर्ट बैठक के समक्ष पेश करेगी :--

- १- श्री जयन्ती प्रसाद द्विवेदी सभापति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
- २- श्री के०एन० गुप्ता सदस्य अधीक्षाण अभियन्ता, स्वायत्त शासन, अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखऊ
- ३- श्री रविन्द्र निवास सदस्य अधीक्षाण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखऊ

निर्णय के अनुसार उप समिति ने आपत्कित्तार्थियों की सुनवाई करके अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है । उप समिति की रिपोर्ट संलग्न है ।

अतः मधुवन को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी हेतु लखऊ-सीतापुर मार्ग पर स्थित ग्राम पुरनिया में निर्धारित भू-उपयोग के परिवर्तन से सम्बन्धित मामला नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा गठित उप समिति की रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

---

आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्ति का सारांश	टिप्पणी	उप समिति की संस्तुति
४- श्रीमती गानदेवी यादव ग्राम पुरनिया, लखनऊ	ग्राम पुरनिया के खसरा सं० ८५, ८६ एवं ८७ के विधाय में कहा है कि इन्हें वाणिज्य उपयोग के लिए ही रखा जाय क्योंकि इन पर दकाने बनाने हेतु मानचित्र जिलाधिकारी द्वारा पास किया जा चुका है तथा ६ दुकानों का निर्माण हो चुका है व बाकी २५ दुकानों का निर्माण कार्य विभिन्न स्थितियों में है।	-उपरोक्त-	उपसमिति ने आपत्तिकर्ता की आपत्तियों को सुना। इन्होंने भवनों के मानचित्र भवन निर्माण विनियम अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं कराये हैं अतः ये अनधिकृत निर्माण हैं। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उप समिति इनकी आपत्ति रद्द करते हुए इनकी भूमि का उपयोग वाणिज्य से आवासीय करने की संस्तुति करती है।
५- श्री रामधर सिंह परनिय सीतापुर रोड लखनऊ।	श्री रामधर सिंह ने अपनी भूमि की कोई जानकारी नहीं दी है। केवल उपजाऊ भूमि को न लिए जाने और उपयोग परिवर्तन न किये जाने की प्रार्थना की है।	-उपरोक्त-	आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। इनकी भूमि की स्थिति का इनके आपत्ति पत्र से कोई ज्ञान नहीं होता है। अतः उप समिति इनकी आपत्ति रद्द करती है।
६- श्री सुरज ग्राम फौजलागंज जिला लखनऊ।	श्री सुरज ने ग्राम फौजलागंज में खसरा सं० ४११, ४१४, ४१६, ४१७, ४१८, ४४६ के विधाय में भू-उपयोग वाणिज्य करके हुए आपत्ति सं० १ जैसी आपत्ति की है।	-उपरोक्त-	इनकी भूमि की स्थिति उपरोक्त आपत्ति सं० १ में बताया गया भूमि की स्थिति जैसी ही है। अतः उपसमिति इनकी आपत्ति को रद्द करते हुए इनकी भूमि का प्रस्तावित उपयोग वाणिज्य रखने की संस्तुति करती है।

ह: रवीन्द्र मिवास  
अधीक्षक अभियन्ता बाढ़  
सार्वजनिक निर्माण विभाग  
लखनऊ।

ह: जयन्ती प्रसाद दुवे  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ह: के०एन० गुप्ता  
अधीक्षक अभियन्ता तृतीय वृत्त  
स्वायत्त शासन अभियन्त्रणी विभाग  
लखनऊ।

उपसमिति की रिपोर्ट की प्रतिलिपि

आपत्तियाँ -

आपत्ति कर्ता का नाम	आपत्ति का सारांश	टिप्पणी	उप समिति की संस्तुति
१- श्री किशोरीलाल निवासी फौजलागंज जिला- लखनऊ ।	इन्होंने ग्राम फौजलागंज के खसरा सं० ४०६, ४२६, ३०७ तथा ३६४ एवं ग्राम अहिबरनपुर के खसरा सं० ६६१२ व १०४ के विषय में आपत्ति पकट की है कि ये भूमि नीची है तथा बाढ़गस्त है । अतः यह वाणिज्य के लिए उपयुक्त नहीं है तथा इसमें अमरूद के बाग है एवं खेती होती है । अतः इनकी भूमि का म-उपयोग कृषि रखा जाय तथा यदि कृषि रक्ता समभव न हो तो आवासीय रखा जाय ।	इस संबंध में अध्यक्ष नियंत्रक प्राधिकारी एवं सदस्यों द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया । उनके पर यह पाया गया कि वाणिज्य क्षेत्र को मास्टर प्लान में प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट के साथ रखा जा सकता है तथा इस प्रकार के परिवर्तन से मास्टर प्लान के प्राविधानों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा और मध्यम को-आ०स० की भूमि आवा- सीय उपयोग हेतु आरक्षित रखा जाना समभव होगा । इस भूमि का कृषि उपयोग हेतु रखा जाना समभव नहीं है । नियंत्रक प्राधिकारी की दि० २१-७-७९ की बैठक में सदसित सोसायटी की भूमि का म- उपयोग आवासीय करने के संबंध में कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था ।	आपत्तिकर्ता अनुपस्थित । इनकी अनुपस्थिति में उप समिति ने इनकी आपत्ति पर विचार किया तथा यह पाया कि जो वाणिज्य क्षेत्र सीतापुर के साथ प्रस्तावित है इसका दक्षिण की ओर प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट को साथ रखा है आपत्तिकर्ता की भूमि का वाणिज्य उपयोग हेतु रक्ता उचित होगा क्योंकि यह भूमि वाणिज्य क्षेत्र की बदली हुई स्थिति के अन्तर्गत आती है । उप समिति इनकी आपत्ति को रद्द करते हुए इनकी भूमि का प्रस्तावित उपयोग वाणिज्य रक्ता की संस्तुति करती है ।
२- श्री नवल सिंह एहलीकेट, पुरनिया, जि०-लखनऊ	इन्होंने अपनी भूमि ग्राम पुरनिया के खसरा नं० २७, ६४, ६५, १००, १०१ के विषय में वाणिज्य म-उपयोग से आवासीय म- उपयोग परिवर्तन करने पर आपत्ति की है तथा इसे कृषि उपयोग अथवा वाणिज्य के लिए ही रक्ता जान को कहा है ।	-उपरोक्त-	आपत्तिकर्ता अनुपस्थित । सीतापुर रोड पर प्रस्तावित वाणिज्य क्षेत्र के जिस भाग को आवासीय करना प्रस्तावित किया गया है उसमें इनकी भूमि आती है । उप समिति इनकी आपत्ति को रद्द करते हुए इनकी भूमि को वाणिज्य से आवासीय करने की संस्तुति करती है ।
३- श्री जितेन्द्र पाल सिंह ग्राम पुरनिया सीतापुर रोड, लखनऊ ।	ग्राम पुरनिया के खसरा सं० २७, ४४, ६२, ६३ के विषय में उपरोक्त सं० २ जैसी आपत्ति की है ।	-उपरोक्त-	उपरोक्त आपत्ति सं० २ के अनुसार ।

28

मद सं०  
(१२)  
-----

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की तालकटोरा रोड स्ट्रीट योजना के मू-उपयोग बन्द करने से संबंधित मामले पर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा गठित उप-समिति की रिपोर्ट के साथ विचार ।

---0---

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की ताल कटोरा रोड स्ट्रीट योजना के अन्तर्गत समाविष्ट भूमि का मू-उपयोग बदलने से संबंधित मामले पर नियंत्रक प्राधिकारी की बैठक दिनांक २-४-७४ में विचार किया गया था तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गया था :—

ताल कटोरा रोड स्ट्रीट स्कीम लखनऊ के अन्तर्गत समाविष्ट भूमि का मू-उपयोग बदलने के संबंध में आलमनगर मोहल्ले के पट्टेदारों के प्रार्थना-पत्र पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि निम्न सदस्यों की एक सब कमेटी नियुक्त की जाती है जो उपरोक्त मामले में आपत्ति कर्ताओं की सुनवाई करके अपनी रिपोर्ट बैठक के समक्ष पेश करेंगे :—

- |                            |        |  |
|----------------------------|--------|--|
| १- श्री जयन्ती प्रसाद दुबे | समापति | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक                                     |
| २- श्री कै०एन० गुप्ता      | सदस्य  | अधीक्षणा अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ        |
| ३- श्री रविन्द्र बिभास     | सदस्य  | अधीक्षणा अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ |

नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा गठित उप समिति ने आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई करके अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है जो संलग्न है ।

अतः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की तालकटोरा रोड स्ट्रीट योजना के अन्तर्गत समाविष्ट भूमि का मू-उपयोग बदलने से संबंधित मामला नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा गठित उप-समिति की रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

---

उप समिति की रिपोर्ट की प्रतिलिपि

आपत्तिकर्ता का नाम

आपत्ति का सारांश

टिप्पणी

उपसमिति की संस्तुति

ग्राम आलमनगर, जिला लखनऊ के निवासियों के नाम:- राधेलाल, मादक प्रसाद, सोहनलाल, बाबा देलारेदोस, कैजीलाल, परागी, राम नारायण, गान्दका, अमन प्रकाश, नथरा प्रसाद, अमन-म री नरतन, हरदयाल, शम्भु, शिवनारायण, जय-नारायण, रमेशचाल, रामाप्रताप, कुरानी, राम स्वयं नारायण, दुराहा, नजर खा आदि ।

आलमनगर के कल पट्टेदारों ने संयुक्त रूप से इस संबंध में विज्ञापित भूमि उपयोग के परिवर्तन पर आपत्ति प्रकट करते हुए यह बताया है कि यह भूमि वर्ष १९६२ में नगर महापालिका द्वारा अध्याप्त किए जाने पर मामले को न्यायालय में उठाया गया था । तत्पश्चात् महापालिका ने इस विषय को कार्यवाही आवास एवं विकास परिषद् को स्थानान्तरित कर दी । इस पुनः न्यायालय में उठाया गया । भूमि अध्याप्त किये जाने से सम्बन्धित मामला इस समय हाइकोर्ट में है ।

इसके उपयोग परिवर्तन से न्यायालय की कार्यवाही में दल्ल होगा जिससे भूमि के अध्यापन हेतु प्रस्तावित विज्ञप्ति प्रभावहीन हो जायेगी ।

शासन को मास्टर प्लान के उद्देश्यों में परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है तथा नगर महापालिका द्वारा किये गये मास्टर प्लान में इनकी भूमि का उपयोग कृषि रखा जा रहा था तथा नगर महापालिका अधिनियम के अन्तगत नगर महापालिका परिवर्तन हेतु सजाम है ।

विभिन्न समय पर सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति अध्यापित है तथा सर्वोच्च अदालत को इस प्रकार के उपयोग के उद्देश्य को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है । अतः यदि इस अध्यापित कार्यवाही को रोकना नहीं जाता तो आपत्तिकर्ता को इस मामले को न्यायालय में उठाने का अधिकार होगा ।

ह० रवीन्द्र निवास  
अधीक्षाण अभियन्ता बाढ़  
सार्वजनिक निर्माण विभाग  
लखनऊ ।

ह० जयन्ती, प्रसाद देव  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग  
लखनऊ ।

ह०- के० एन० गुप्ता  
अधीक्षाण अभियन्ता (तृतीय वृत्त)  
स्वायत्त शासन अभियन्तरी विभाग  
लखनऊ ।

आलमनगर के पट्टेदारों द्वारा उठाई गयी आपत्ति में भूमि का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है । आपत्ति में जो कानूनी पहलु उठाये गये हैं उन पर भली भांति विचार करके जांच कर ली जाय । मास्टर प्लान में इस क्षेत्र में प्रस्तावित रोड को इस रोड के स्लाइनमेंट में आवादी आ जाने व कृषि अध्यापित इकाइयों पर कानूनी समझ न होने के कारण इसका स्लाइनमेंट बदलना समझ समझा गया । पूर्व प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में हाइटेशन विद्यत लाइनों के कारण इस क्षेत्र का उपयोग आवासीय भली भांति नहीं हो पायेगा । अतः यह अनुभव किया गया कि यहाँ पर औद्योगिक उपयोग आने से हाइटेशन विद्यत लाइनों का उपयोग भी उपयोगों में ही समाप्त जिसके कारण भू-उपयोग में परिवर्तन आवश्यक हो गया ।

आपत्तिकर्ताओं के प्रतिनिधियों का सुना गया । इनकी संयुक्त रूप से दोग आपत्तियों में उपयोग परिवर्तन के संबंध में क्वल विधि संबंधी स्व मामले न्यायालय में होने संबंधी आपत्ति उठाई गई है तथा इसी आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन न करने की कह गया है ।

उप समिति प्रस्तावित भू-उपयोग का प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार परिवर्तित करने की संस्तुति करती है ।

76

सू. सं०  
(१३)

निदेशालय भूतत्व एवं सनिकर्म, उत्तर प्रदेश के कार्यालय स्थित ३ वें रोड द्वारा प्रस्तुत भवन-चित्र पर लैंड यूज से कूट दिये जाने विषयक उद्योग सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र सं० ६३२२।१८-१२, दिनांक १६-१२-७४ पर विचार ।

--0--

निदेशक भूतत्व एवं सनिकर्म, उत्तर प्रदेश ने २ वें रोड पर अपने कार्यालय का मानचित्र स्वीकृत हेतु दिनांक ३१-७-७४ को नियत अधिकारी को प्रस्तुत किया जो दिनांक २१-११-७४ को निम्न आपत्तियों सहित वापस कर दिया गया था :—

- १- फार्म अपूर्ण है ।
- २- की (Key) प्लान नहीं है जिससे अशोक मार्ग की महायोजना में वर्णित १५० फुट की दूरी मालूम हो सके ।
- ३- वरसाती पानी का निकास नहीं दिखाया गया है ।
- ४- प्रोजेक्ट बड़ा है इस कारण नगर एवं ग्राम नियोजक का आपत्ति रहित (No-objection) पत्र प्रस्तुत करें ।
- ५- कम्प्यूटर की आख्यानुसार नामें स्थल पर नहीं मिलती हैं ।
- ६- महायोजना में यह आवासीय क्षेत्र आर०-२ में पड़ता है । इस प्रकार आवासीय क्षेत्र में कार्यालय भवन के निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती है ।

उपरोक्त आपत्तियों में से १ से ५ तक का सुधार पक्का स्वयं कर सकता है । आपत्ति सं० ६, जो मास्टर प्लान के लैंड यूज से सम्बन्धित है, की कूट केवल शासन द्वारा दी जा सकती है ।

---

मद सं०  
(१४)

क्वीन्टन रोड स्थित जे भारत सिनेमा भवन के वारे में श्री रतन कुमार व अन्य को लैण्ड यूज से कूट दिये जाने तथा मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रार्थना-पत्र पर विचार ।

--0--

श्री रतन कुमार व अन्य ने दिनांक ४-६-७४ को उक्त मानचित्र स्वीकृति हेतु नियत अधिकारी के कार्यालय में जमा किया, जो आर०वी०ओ० एक्ट तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आपत्तियों के आधार पर अस्वीकृत करके दिनांक २६-८-७४ को वापस कर दिया गया । इसी बीच उन्होंने निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया । अतः दिनांक ४-७-७४ को उन्हें इस अनधिकृत निर्माण हेतु आर०वी०ओ० एक्ट की धारा १० का कारण बताओ नोटिस दिया गया । तदुपरान्त नियत अधिकारी द्वारा दिनांक ३१-८-७४ को अनधिकृत निर्माण गिराने के आदेश दिये गये । पदा ने आर०वी०ओ० एक्ट की धारा १५(२) के अन्तर्गत उपरोक्त (१) मानचित्र की अस्वीकृति के विरुद्ध एवं (२) अपराध को शमन करने के लिये नियंत्रक प्राधिकारी के यहाँ दिनांक २१-९-७४ को अपील की । नियंत्रक प्राधिकारी ने २३-९-७४ को स्थगनादेश जारी किये और मामले को अपनी दिनांक १०-१०-७४ की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखने के निर्देश दिये । इसी बीच विकास प्राधिकरण बनने तथा नियंत्रक प्राधिकारी का अस्तित्व समाप्त हो जाने के कारण मामले पर निर्णय नहीं हो सका ।

दिनांक २३-१०-७४ का असाधारण सरकारी गज़ट में प्रकाशित उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७४ जारी हुआ जिसको धारा ३४(सी) (111) में यह उल्लेख है कि आर०वी०ओ० एक्ट में धारा १५(२) व १५(क) के अनुसार जो अपील एवं निगरानियाँ नियंत्रक प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार में विकास प्राधिकरण बनने की तिथि पर (दिनांक ११-९-७४ को) अवशेष थी वे उ०प० नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ की धारा ३७ के अन्तर्गत ट्रिब्यूनल को भेज दी जायेंगी तथा उक्त अधिनियम की धारा ८ स के अन्तर्गत जो रिवीजन हैं वे विकास प्राधिकरण को निर्णय हेतु भेज दिये जायेंगे ।

पदा द्वारा आर०वी०ओ० एक्ट की धारा १५(२) के अन्तर्गत २१-९-७४ को प्रस्तुत अपील का निस्तारण ट्रायब्यूनल द्वारा किया जाना है ।

--

74

मद सं०  
(१५)  
-----

अलीगंज मार्ग एवं नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर की दर निर्धारित किया जाना ।

---0---

अलीगंज योजना के क्षेत्र में आने वाली भूमि के प्रतिकर के संबंध में किसानों ने वाद-विवाद कर रखा है । जून, १९७४ में सात किसानों को एक रुपया बीस पैसे (रु००१-२० पैसे) प्रति वर्गफुट की दर से मुआवजा दिया गया जबकि इसके पूर्व प्रतिकर रु० से ४० पैसे प्रति वर्गफुट तक दिया जाता रहा है । किसानों का यह कहना है कि जब तक उनकी भूमि का उचित मुआवजा उन्हें नहीं मिला जाता तब तक वे अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे । इस संबंध में ग्राम फतेहपुर आदि के भूमिधरों/सीरदारों के प्रतिनिधियों से उपाध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विचार विमर्श किया जिसमें यह तय हुआ कि भूमिधरों/सीरदारों तथा अध्याप्त निकाय के बीच में प्रतिकर की दरों के बारे में एक समझौता हो जाय तथा उसी आधार पर विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी मुआवजा दें । यह भी तय हुआ कि प्रतिकर की दर ६६ ६६ पैसे प्रतिफुट की दर से देय हो जो मार्केट रेट के अनुसार है और जिसमें सौलिशियम, व्याज, वृद्धा तथा फसल की कीमत भी सम्मिलित है । पक्का कुआं तथा निर्माण का प्रतिकर अलग से मार्केट रेट पर दिया जाय ।

विकास प्राधिकरण कृपया उक्त प्रतिकर की दर की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे ।

---

मद सं०  
(१६)

73  
डा० बी०एन० वर्मा रोड, वजीरगंज वार्ड में जमीयत विल्डिंग के जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमार उ०प०, लखनऊ द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण करने पर विचार ।

--0--

जमीयत उलमार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने ५४, बी०एन०वर्मा रोड पर मानचित्र नियत अधिकारी के कार्यालय में दिनांक १५-४-७४ को स्वीकृत हेतु जमा किया । यह नियत अधिकारी द्वारा दिनांक १६-८-७४ को स्वीकृत किया गया । इसमें उत्तर की ओर लेन सेट बैक व ४ फुट सेट बैक तथा सामने की तरफ सड़क की ओर ४ फुट सेट बैक छोड़ा गया दिखाया गया था । उक्त स्वीकृत मानचित्र दिनांक ३१-८-७४ को पदा को रिलीज किया गया ।

पदा ने निर्माण करते समय स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित सेट बैक छोड़े वगैर नई बुनियादेँ खोद कर निर्माण प्रारम्भ कर दिया। इसके लिये उन्हें उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ की धारा २७(१) एवं २८(१) के अन्तर्गत क्रमशः नोटिस तथा विकास कार्य रोकने के लिये सूचना दिनांक ७-१२-७४ को दिये गये जो पदा ने दिनांक ११-१२-७४ को प्राप्त किये । पदा द्वारा किये गये निर्माण कार्य के फलस्वरूप नियमों का निम्न प्रकार उल्लंघन होता है :--

- १- दुकानों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध है ।
- २- पूर्व की ओर गली की तरफ लेन सेट बैक एवं ४ फुट सेट बैक नहीं छोड़ा गया है । उत्तर की ओर मुख्य सड़क की तरफ भी ४ फुट सेट बैक नहीं छोड़ा गया है ।
- ३- निर्माण कार्य रोकने की सूचना देने के पश्चात् भी पदा ने स्थल पर निर्माण कार्य बन्द नहीं किया ।

पदा को दिनांक ४-१-७५ को सूना गया । उसने उत्तर में अपराध के शमन की प्रार्थना की है जबकि अपराध शमन योग्य नहीं है ।

मद सं०  
(१७)

श्री मो० हाशिम मुतवल्ली शेख कादिर वख्श ट्रस्ट द्वारा रकावगंज चौराहे के निकट अनधिकृत दुकानों के निर्माण पर विचार ।

---0---

श्री मो० हाशिम मुतवल्ली शेख कादिर वख्श ट्रस्ट ने गंगा प्रसाद रोड व सुभाष मार्ग के चौराहे के निकट कुछ दुकानों का अनधिकृत निर्माण जुलाई १९७१ में कराया था । तत्कालीन नियत अधिकारी द्वारा आर०वी० ओ० ऐक्ट की धारा १० के अन्तर्गत ३-८-७१ को उन्हें नोटिस दिया गया और दिनांक १७-६-७२ को भवन तोड़ने के आदेश पारित किये गये । बाद में पदा के अनुरोध पर तत्कालीन नियत अधिकारी द्वारा दिनांक २२-१०-७३ को रु०१, २६६-०० शमन शुल्क लेकर अपराध का शमन कर दिया गया व दिनांक ३१-१०-७३ को पदा को तद्नुसार सूचित कर दिया गया । पदा ने उक्त धनराशि ५-१२-७४ तक जमा नहीं की । इस तिथि को पदा ने बैंक ड्राफ्ट द्वारा उक्त धनराशि वाइस चैयरमैन, लखनऊ डेवलपमेंट अथारिटी के नाम से भेजी है ।

प्रश्नगत निर्माण आर०वी०ओ० ऐक्ट से मुख्यतः निम्न प्रकार प्रभावित है :—

- १- दुकानों का अनधिकृत निर्माण सुभाष मार्ग जिसकी प्रस्तावित चौड़ाई महायोजना में १५० फुट दर्शायी गयी है के अन्दर है ।
- २- महायोजना में उक्त क्षेत्र आवासीय है जबकि अनधिकृत निर्माण व्यापारिक है ।
- ३- पूर्व में तत्कालीन नियत अधिकारी द्वारा गिराने के आदेश पारित किये गये थे परन्तु बाद में नियत अधिकारी द्वारा ही अपराध का शमन कर दिया गया जबकि आर०वी०ओ० ऐक्ट में एक ही प्राधिकारी द्वारा मामले को रिव्यू करने का प्राविधान नहीं है ।
- ४- जिस अपराध का तत्कालीन नियत अधिकारी द्वारा वाद में शमन किया गया उसकी नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि नहीं करायी गई ।

---

मद सं०  
(१८)

चारवाग में म्युनिसिपल गुरुनानक मार्केट के निकट इम्प्लायमेन्ट इक्सचेंज के पश्चिम की ओर पड़े हुए खुले भू-भाग के ले-आउट-प्लान पर विचार एवं निर्णय ।

—०—

उक्त खुली पड़ी भूमि में से १५,००० वर्गफुट भूमि उत्तर प्रदेश शासन ने मुसाफिरखाने हेतु आवन्टन के आदेश जारी कर दिए हैं । शेष भूमि के निस्तारण हेतु ले-आउट-प्लान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के परामर्श से बनाया गया है जिसमें १६ प्लॉट जिनका क्षेत्रफल ३५६२६ वर्गफुट है, दिखाया गया है । मास्टर प्लान में यह क्षेत्र आवासीय दिखाया गया है परन्तु इससे मिली हुयी भूमि का मौजूदा प्रयोग व्यावसायिक एवं आवासीय है । लक्ष्मण विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत इन १६ प्लॉटों का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण किया जायेगा । यह करना आवश्यक है ताकि विकास प्राधिकरण को अधिक से अधिक धन प्राप्त हो सके । इस स्थान पर निजी एक बालक अपनी टुकें खड़ी करके अतिक्रमण पैदा करते हैं । चूंकि खुले प्लॉट के निकट इससे मिला हुआ क्षेत्र व्यावसायिक एवं आवासीय है । अतः इन १६ प्लॉटों को भी व्यावसायिक एवं आवासीय के रूप में बना जाना विकास प्राधिकरण कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें ।

---

70

पद सं १६ :- गोमती तट की सी०डी०आर०आइ० से लेकर  
डालीगंज पुल तक की विकास योजना के कार्यान्वयन  
पर विचार ।

गोमती तट के विकास के लिए एक टास्क फोर्स कठित किया गया था जिसने विस्तृत विचार विमर्श एवं स्थल के निरीक्षण के उपरान्त अपनी रिपोर्ट दिनांक २०-१-७५ को प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार गोमती बन्ध के सी०डी०आर०आइ० से लेकर डालीगंज पुल तक के भाग के विकास हेतु प्रथम चरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क और बन्ध के बीच के भाग को पूर्णतया मिट्टी आदि से भर कर समतल बनाने एवं बन्ध के ढाल और समतल किये गये भाग पर घास एवं फूल पाँचे लगाना प्रस्तावित है। उक्त भाग में सड़क के सहारे लोहे की रेलिंग लगाने का कार्य भी प्रस्तावित है। इस योजना में वर्तमान शहीद स्मारक को और अधिक उन्नत करने एवं रमणीक बनाने का भी प्राविधान किया गया है। प्रथम चरण की योजना में ४-१६ लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है। यह व्यय विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय किया जायेगा। टास्क फोर्स की रिपोर्ट, इसके अन्तर्गत होने वाले कार्य एवं व्ययानुमान विकास प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक ४ फरवरी, १९७५ को प्रातः १०-३० बजे आयुक्त, लखनऊ मण्डल के कार्यालय-कक्षा में हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्य-वृत्त ।

उपस्थित

- १- श्री पी०एन० चतुर्वेदी, अध्यक्ष,
- २- श्री आर०आर० शाह, उपाध्यक्ष,
- ३- श्री राजन्धर भार्गव, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग,
- ४- श्री वी०एन० चन्ना, संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,
- ५- श्री जे०पी० द्वा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
- ६- श्री के० एन० गुप्ता, अधीक्षाणा अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण, विभाग,
- ७- श्री पी०एन० मिश्र, अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर)।

अन्य उपस्थित:

- १- श्री उमा शंकर, समिति अधिकारी, विधान सभा सचिवालय,
- २- श्री महेश चन्द्र, उप प्रशासक, नगर महानगर पालिका, लखनऊ,
- ३- श्री एस०पी० गुप्ता, मुख्य अभियन्ता,
- ४- श्री रहमत खां, अधीक्षाणा अभियन्ता (आवास),
- ५- श्री मो० रशीद अहमद, नगर अभियन्ता (मवन)।

मद सं०(१): दिनांक २१-१०-१९७४ की बैठक की कार्यवाही की पूर्णता की गयी।

मद सं०(२): २- लखनऊ नगर महानगर पालिका एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य सम्पत्ति विभाजन पर विचार किया गया ।

विशेष सचिव (वित्त विभाग) ने यह सुझाव दिया कि रख-रखाव की मद में आवश्यक धनराशि का प्रावधान इस लिए आवश्यक है ताकि किसी योजना के पूरा होने के बाद उसके रख-रखाव की उचित व्यवस्था हो सके तथा यदि जरूरी हो तो छव-सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सकें।

यह निश्चय किया गया विकास प्राधिकरण को भावी विकास हेतु अविकसित क्षेत्र स्थानान्तरित विये जाय और विकसित क्षेत्र के रख-रखाव का प्राधिकरण से कोई सम्बन्ध न रहे। निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये :-

(क) विकास सामान्य निधि, गन्दी बस्ती वातावरण स्थापना योजना, अलीगंज आवास तथा कन्ट्रोलिंग एथारिटी निधियां यथास्थिति १२-६-१९७४ प्राधिकरण को स्थानान्तरित की जाय।

(ख) श्री राजन्धर भार्गव, विशेष सचिव, वित्त उपाध्यक्ष एवं श्री वी०एन० चन्ना, संयुक्त सचिव की एक उप-समिति का गठन किया जाय जो विकास प्राधिकरण का आय-व्यय तैयार करके प्राधिकरण की आली बैठक में उसे प्रस्तुत करे। इस उप-समिति के संयोजक उपाध्यक्ष होंगे।

(ग) शासन से एक रिवातिका लान मांगा जाय जिसका व्याज प्रति वर्षी देय हो। संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन इस मामले को शासन के स्तर

पर देख लें।

(कार्यवाही- मुख्य लेखाधिकारी)

(घ) ४२ पुरानी तथा ५ नई योजनाएँ इस समय तौ विकास प्राधिकरण को सौंपित कर दी जायें किन्तु बाद में उपाध्यक्षा यह देख लें कि इनमें कौन कम महत्वपूर्ण और ऐसी योजनाएँ हैं जो महापालिका को फ्तः स्थानान्तरित की जा सकती है। तत्पश्चात्, उन्हें महापालिका को वापस दिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाये।

(कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता)

मद सं०(३): ३- विकास प्राधिकरण हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवश्यक पदों के सूजन पर विचार किया गया। विशेष वित्त सचिव ने यह सुझाव दिया कि विकास प्राधिकरण में केवल उतने ही अधिकारी एवं कर्मचारी रख जायें जो नितान्त आवश्यक हों। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ की धारा ५६(३) की ओर विकास प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित किया गया जिसमें यह व्यवस्था है कि आवास एवं विकास योजनाओं से सम्बन्धित महापालिका के सभी अकेन्द्रीयित पद विकास प्राधिकरण को अन्तरित हुए समकें जायेंगे।

४- अध्यक्ष के आदेशानुसार यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार जो पद अन्तरित होकर विकास प्राधिकरण में आयें उनकी आवश्यकता की जांच उपरिलिखित उप-समिति करे। अनावश्यक पदों को रिक्त रखा जाय।

(कार्यवाही- सचिव)

मद सं०(४) ५- लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक एसोसिएट प्लानर की ₹० ८००-१४५० के वेतनक्रम में नियुक्ति करने पर विचार किया गया। यह निश्चय किया गया कि इस मद की स्थगित किया जाय क्योंकि उपर्युक्त उप-समिति स्टाफ की आवश्यकता के सम्बन्ध में पूरी रिपोर्ट दगी और तभी इस प्रश्न पर विचार कर लिया जायेगा।

मद सं०(५) ६- लखनऊ नगर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण दोनों का कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित मामले पर विचार किया गया। यह निश्चय किया गया कि उप प्रशासक, लेखा अधिकारी तथा मुख्य अभियन्ता, जो नगर महापालिका और विकास प्राधिकरण दोनों का कार्य देख रहे हैं, के वेतन आदि पर दिनांक ११-६-७४ से हुए व्यय की ५० प्रतिशत प्रति नगर महापालिका को कर दी जाय और इस व्यय का विकास प्राधिकरण के बजट में प्राविधान कर लिया जाये।

( कार्यवाही - मुख्य लेखाधिकारी )

क्रमशः

मद सं०(६) ७- विकास प्राधिकरण के सचिव तथा मुख्य लेखाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अर्ह अधिकारियों को प्राधिकृत करने के प्रश्न पर विचार किया गया। यह निश्चय किया गया कि जब तक शासन द्वारा विकास प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति के आदेश प्राप्त नहीं हो जाते तब तक के लिए उप प्रशासक, नगर महापालिका प्राधिकरण के सचिव के रूप में एवं लेखाधिकारी प्राधिकरण के मुख्य लेखाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किये जायें। विशेष सचिव(वित्त) ने मुख्य लेखाधिकारी के पद पर कार्य करने के लिए वित्त विभाग से एक अधिकारी देने का आश्वासन दिया। संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन, सचिव की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

मद सं०(७) ८- विकास प्राधिकरण की ओर से अनुमन्त्र करने का अधिकार धारा ५१(२) के अन्तर्गत उप प्रशासक को प्रतिनिहित करने के सम्बन्ध में विचार किया गया। यह निश्चय किया गया कि विकास प्राधिकरण की ओर से अनुमन्त्र करने का अधिकार अधिनियम की धारा ५१(२) के अन्तर्गत उप प्रशासक, नगर महापालिका(सचिव, विकास प्राधिकरण) को प्रतिनिहित किया जाय।

मद सं०(८): ९- लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखों आदि के रख-रखाव की अन्तरिम व्यवस्था पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

(क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५६ की धारा १५३ के अन्तर्गत शासन द्वारा बनाये गये लेखा नियमों को प्रस्तावित संशोधनों सहित स्वीकृत किया जाय।

(क) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ की धारा २०(३) के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण का खाता किसी राष्ट्रीयकृत (नेशनलाइज्ड) या शहयुल्लेख बैंक में, जिसमें उपाध्यक्षा चाहें, खोला जाय और उस खाते को उपाध्यक्षा और मुख्य लेखाधिकारी तथा उपाध्यक्षा की अनुमतिस्थिति में सचिव और मुख्य लेखाधिकारी परिचालित करेंगे।

(कार्यवाही- मुख्य लेखाधिकारी)

मद सं०(९) १०- मानचित्र तैयार करने हेतु पंजीकरण व लाईसेन्स तथा फीस के सम्बन्ध में उपविधियों के पारूप पर मुख्य नगर तथा ग्राम नियोक्त के स्वीकार एवं तत्सम्बन्ध उपाध्यक्षा की टिप्पणी पर विचार-विमर्श हुआ। निम्नलिखित उपविधि संख्या २८ के रूप में स्वीकृत हुई:-

२८- मानचित्र तैयार करने हेतु पंजीकरण व लाईसेन्स तथा फीस:

(१) धारा १४ के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न मानचित्रों की स्वीकृति तभी दी जायगी जब वे विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा यथास्थिति क्रमशः

पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त वास्तुविद्, नगरनियोजक, अभियन्ता, सर्वेयर, रेखाकार और अनर्हित रेखाकार के द्वारा तैयार किये गये तथा पूर्ण तथा पते हैं सहित हस्ताक्षरित होंगे।

(2) प्राधिकरण शक्तिक योग्यता तथा अनुभव के आधार पर वास्तुविद्, नगर नियोजक, अभियन्ता या सर्वेयर या अर्हता प्राप्त रेखाकार या अनर्हित रेखाकार, को, वास्तुविद्, नगर नियोजक, अभियन्ता, सर्वेयर, अर्हता प्राप्त रेखाकार, अनर्हित रेखाकार को, भवन मानचित्र, भूविन्यास मानचित्र, भूमि प्रयोग सर्वेक्षण मानचित्र, जलानुसारण, जल वितरण तथा मल प्रवाह योजना आदि के मानचित्र तैयार करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन तथा फीस के संदाय पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की संस्तुतियों पर पंजीकृत करके लाइसेंस देगा :-

वास्तुविद् : (अ) वास्तुविद् के पंजीकरण हेतु न्यूनतम योग्यतायें इस प्रकार हैं :-

एसोसिएट मेम्बरशिप आफ दि इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ आर्किटेक्चर या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आर्किटेक्चर में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता जो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आर्किटेक्चर के पद के लिए स्वीकृत हो तथा कम से कम दो वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।

ददाता:

पंजीकृत वास्तुविद् भवन मानचित्र तथा साइट तलपट मानचित्र तैयार करने में दक्ष होगा तथा वह समस्त माप के भूखण्डों पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के साथ ही साथ उपनिवेशों के तलपट मानचित्रों को भी प्रस्तुत कर सकेगा।

नगरनियोजक: (ब) नगर नियोजक के पंजीकरण हेतु न्यूनतम योग्यतायें इस प्रकार हैं--

एसोसिएट मेम्बरशिप आफ दि इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन टाउन एन्ड कप्ट्री प्लानिंग या इसके समकक्ष योग्यता जो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा नगर नियोजक के पद के लिए स्वीकृत हो तथा कम से कम दो वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।

ददाता:

पंजीकृत नगर नियोजक, उपनिवेशों के तलपट मानचित्र प्रस्तुत करने में दक्ष होगा।

अभियन्ता: (स) अभियन्ता के पंजीकरण हेतु न्यूनतम योग्यतायें इस प्रकार हैं --

एसोसिएट मेम्बरशिप आफ दि इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियर्स आफ इण्डिया या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इन्जीनियरिंग में स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता जो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अभियन्ता के पद के लिए स्वीकृत हो तथा कम से कम दो वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।

ददाता:

अभियन्ता-भवन मानचित्र तथा साइट तलपट मानचित्र, उपनिवेशों

क्रमशः

के तलपट मानचित्र, भूखेदाणा मानचित्र, निर्माण कार्य सम्बन्धी रूप रखा

) कन्टर खेदाणा मानचित्र तथा उपनिवेशों का जल वितरण व्यवस्था, जलान्सारण योजना तथा मल प्रवाह तथा सड़कों की व्यवस्था के मानचित्र प्रस्तुत करने में दत्ता होगा। वह समस्त माप के भूखण्डों पर निर्माण कार्य का परीक्षा भी कर सकेगा।

सर्वेयर : (ब) सर्वेयर के पंजीकरण हेतु न्यूनतम योग्यतायें इस प्रकार हैं :-

एसीशिएट मेम्बरशिप आफ दि इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ आर्कीटेक्टस या इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स आफ इन्डिया या मान्यता प्राप्त आवरसियर्स डिप्लोमा के साथ दो वर्षों का खेदाणा अनुभव या ५ वर्षों के व्यावसायिक अनुभव के साथ किसी पालीटेक्निक से खेदाणा में डिप्लोमा।

दत्ता: पंजीकृत सर्वेयर ६० वर्ग मीटर से कम भूखण्डों के खेदाणा तथा कन्टर मानचित्र, जल वितरण व्यवस्था, जलान्सारण योजना तथा मल प्रवाह व्यवस्था के मानचित्र प्रस्तुत करने में दत्ता होगा।

अर्हता प्राप्त द्वाफ्टमैन: (इ) अर्हता प्राप्त रेखाकार के पंजीकरण हेतु न्यूनतम योग्यतायें इस प्रकार हैं—

५ वर्षों के व्यावसायिक अनुभव के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मुख्य रेखाकार के पद के लिए स्वीकृत द्वाफ्टमैन डिप्लोमा।

दत्ता: पंजीकृत अर्हता प्राप्त रेखाकार उन भवनों की रूपरेखा तथा साइट मानचित्र प्रस्तुत कर सकेगा और भवन निर्माण सम्बन्धी निरीक्षण कर सकेगा, जिनका सम्पूर्ण गृह तल क्षेत्र ६६ वर्ग मीटर से अधिक न होगा।

अनर्हित द्वाफ्टमैन: (फ) अनर्हित रेखाकार के पंजीकरण हेतु न्यूनतम योग्यतायें इस प्रकार हैं :—

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आवरसियर्स का डिप्लोमा या बिना शैक्षिक योग्यता के १० वर्षों का व्यावहारिक अनुभव बिना शैक्षिक योग्यता के व्यक्तियों का पंजीकरण विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के साथ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।

दत्ता: पंजीकृत अनर्हित रेखाकार उन भवनों के मानचित्र जिनका आच्छादित क्षेत्र ६० (नब्बे) वर्ग मीटर से अधिक न होगा, को प्रस्तुत करने के लिए दत्ता समर्थ न होगा।

### ३) लाइसेन्स का समय :

लाइसेन्स न्यूनतम एक पत्रों माह और अधिकतम एक पत्रों वर्षों के लिए दिया जायेगा और लाइसेन्स प्रत्येक पत्रों वर्षों की ३१ दिसम्बर को रद्द समर्थ जायेगा।

### (४) लाइसेन्स शुल्क:

व स्लूविड, नगर निरीक्षण तथा अभियन्ता के लाइसेन्स प्रदान करने के क्रम में:

(६)

लिये ५०-०० रु० शुल्क होगा, सर्वेयर तथा अर्हता प्राप्त रेखाकार के लिये २५-०० रु० तथा अनर्हित रेखाकार के लिये १५-०० रु० शुल्क लिया जायेगा तथा यह धनराशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी। इस विषी भी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा जिसने चालू वर्ष या वर्ष के भाग का निर्धारित शुल्क सरकारी खजाने में जमा करके दृजरी चालान फार्म प्रार्थना-पत्र के साथ नत्थी नहीं किये होंगे।

(५) आलेख्याफका:

लाइसेन्स प्रदत्त वास्तुविद्, नगर नियोजक, अभियन्ता, सर्वेयर, अर्हता प्राप्त रेखाकार तथा अनर्हित रेखाकार उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ तथा विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, लखनऊ के निर्देशानुसार भवन मानचित्र, कालोनियाँ के मानचित्र तथा अनुभाग उचित मापानुसार तैयार करेंगे।

प्रत्येक इस प्रकार से तैयार किये गये मानचित्रों पर लाइसेन्स प्राप्त वास्तुविद्, नगर नियोजक, अभियन्ता, सर्वेयर, अर्हता प्राप्त रेखाकार या अनर्हित रेखाकार तथा व्यक्ति जिसने निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र दिया है, के हस्ताक्षर होने चाहिये।

(६) लाइसेन्स का खण्डन:

इन उपविधियों के साथ वास्तुविद्, नगर नियोजक, अभियन्ता, सर्वेयर, अर्हता प्राप्त रेखाकार या अनर्हित रेखाकार का प्रदत्त लाइसेन्स उपाध्यक्ष द्वारा रद्द कर दिया जायेगा यदि उनके द्वारा तैयार किये गये मानचित्र तथा योजनायें गलत होंगी या उपाध्यक्ष की राय में वे इन नियमों के अन्तर्गत लाइसेन्स के लिये अर्हता होंगे। इस प्रकार लाइसेन्स को रद्द कर देने के बाद कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

इस लाइसेन्स के अपरिवर्तन के विरुद्ध पूर्ण विचार प्रार्थना-पत्र विकास प्राधिकरण के सम्मुख अपरिवर्तन की तिथि से एक माह के अन्दर उपस्थित किया जा सकता है।

(७) प्रार्थना-पत्र की वैधता के लिए आवश्यक सूचना:

(क) कोई भी भवन सम्बन्धित प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि उसके साथ लाइसेन्स प्राप्त वास्तुविद्, नगर नियोजक, अभियन्ता, सर्वेयर या रेखाकार के द्वारा बनाये तथा हस्ताक्षरित किये हुए भवन चित्र नहीं ला होंगे।

(ख) किसी भी उपनिवेश या विकास क्षेत्र की प्रमुख पूर्ण सहकर्म

क्रमशः

( ) , स्टट हाई-वे या नेशनल हाई-वे की प्राधिकरण द्वारा इस रूप में अधिसूचित हों, के किनारे स्थित भवन निर्माण से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा, यदि उसके साथ लाइसेन्स प्राप्त वास्तुविद् या नगर नियोजक द्वारा तैयार किये गये तथा हस्ताक्षरित चित्र या नगर नियोजक द्वारा तैयार किये गये तथा हस्ताक्षरित चित्र नहीं लगे होंगे। स्ट्रक्चरल रिहजाइन अभियन्ता द्वारा प्रमाणित हानी ।

(ग) खण्ड (ख) में उल्लिखित दोंनों के अतिरिक्त अन्य दोंनों में २५, ००० ₹ से ऊपर की लागत के निर्माणों के प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे यदि उनके साथ लाइसेन्स प्राप्त वास्तुविद्, नगर नियोजक या अभियन्ता द्वारा बनाये गये और हस्ताक्षरित चित्र नहीं लगे होंगे ।

(घ) खण्ड(ख) और (ग) में उल्लिखित निर्माणों के अतिरिक्त अन्य निर्माणों के भवन-चित्र लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयर, अर्हता प्राप्त रेखाकार या अनर्हित रेखाकार द्वारा बने होंगे पर भी स्वीकार किये जा सकते हैं ।

(ह०) कोई भवन या उपनिवेश सम्बन्धित प्रार्थना पत्र किसी नगर नियोजक, वास्तुविद्, अभियन्ता रेखाकार या सर्वेयर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक उस चित्र पर भूस्वामी के हस्ताक्षर नहीं होंगे ।

(च) कोई भी विकास कार्य या निर्माण से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि उसके साथ सम्बन्धित वास्तुविद्, नगर नियोजक, अभियन्ता, सर्वेयर, रेखाकार का निम्नलिखित प्रमाण-पत्र नहीं होगा :-

वास्तुशैली-पर्यवेक्षण का प्रपत्र

मैं/एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि भवन सं०----- में का या भूखण्ड सं०----- में का ----- उपनिवेश/स्ट्रीट/मोहल्ला/बाजार। रू०----- लखनऊ में निर्माण। प्लान: निर्माण।सारवातु परिवर्तन विकास-कार्य में पर्यवेक्षण के अधीन किया जायेगा और मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि सब निर्माण सामग्री इसी प्रकार और शर्तों की होगी और कारीगरी सामान्यतः उसी निर्देशिका की होगी जो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित है और निर्माण कार्य स्वीकृत भवन-चित्र के अनुसार ही किया जायेगा । वास्तुविद्।नगर नियोजक। अभियन्ता।रेखाकार।पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर----- वास्तुविद्।नगर नियोजक। अभियन्ता।रेखाकार।पर्यवेक्षक का नाम ----- वास्तुविद् नगर नियोजक। अभियन्ता।पर्यवेक्षक। रेखाकार की लाइसेन्स सं०-----

वास्तुविद्।नगर नियोजक।अभियन्ता।पर्यवेक्षक।रेखाकार पता -----  
दिनांक -----

(क) निर्माण या विकास कार्य की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि उसके पूरा होने पर अध्यासन या अधिभोग तभी किया जा सकेगा जब सम्बन्धित वास्तुविद्।नगर नियोजक।अभियन्ता।सर्वेयर।रेखाकार द्वारा कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र निम्न प्रपत्र में दे दिया जाय और प्रमाण-पत्र प्रस्तुत होने के एक सप्ताह के भीतर प्राधिकरण द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी या कर्मचारी द्वारा निर्मित भवन या किये गये विकास कार्य का निरीक्षण किया जायेगा और प्रमाण पत्र सही पाये जाने की दशा में अध्यासन या अधिभोग की अनुमति दे दी जायेगी । यदि एक सप्ताह के भीतर निरीक्षण न किया जाय तो स्वामी को अध्यासन।अधिभोग की अनुमति दी गयी समझी जायेगी।अध्यासन।अधिभोग की अनुमति के दिनांक से गृहकर, जलकर मल निस्तारण कर आदि कर देय हो जायेगे।

कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि भवन सं०----- में का या भूखण्ड सं० ----- में।का----- उपनिवेश ।स्ट्रीट ।मोहल्ला।बानार। रोड ----- लखनऊ में निर्माण । स्तः निर्माण।सारवान् परिवर्तन। विकास कार्य मेरे पर्यवेक्षण के अधीन दिनांक ----- को परिमित सं० ----- दिनांक -----द्वारा स्वीकृत भवन चित्र के अनुसार मेरे पूर्ण संतोषानुसार पूरा किया गया । कारीगरी और निर्माण सामग्री सामान्यतः उसी निर्विद्विष्ट की परीक्षा की गयी जो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित थी । कार्य के दौरान उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ तथा तदधीन जारी किये गये विनियम व उपविधि या विकास प्राधिकरण द्वारा तदन्तर्गत जारी किये गये किसी आदेश या अध्याचन का उल्लंघन नहीं किया गया है । भवन उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उसका निर्माण।स्तः निर्माण। स्तः परिवर्तन।परिवर्धन किया गया है, उपयुक्त है।

वास्तुविद्।नगरनियोजक।अभियन्ता।रेखाकार।पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर-----  
वास्तुविद्।नगरनियोजक।अभियन्ता।रेखाकार।पर्यवेक्षक का नाम -----  
वास्तुविद्।नगरनियोजक।अभियन्ता।पर्यवेक्षक।रेखाकार की लाइसेन्स सं०-----  
वास्तुविद्।नगरनियोजक।अभियन्ता।पर्यवेक्षक।रेखाकार पता-----  
दिनांक -----

११- निश्चय किया गया कि इस उपविधि को भी शासन का पूर्ण स्वीकृति के लिए भेज दिया जाय ।

(कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता)

मद सं० (१०) १२- लखनऊ कानपुर मार्ग पर स्थित ग्राम गौरी तथा गव्व में औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए लखनऊ महायोजना में संशोधन पर विचार किया गया । यह निश्चय किया गया कि उक्त भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए लखनऊ महायोजना में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाये एवं तदनुसार संशोधन करने के लिए शासन को लिखा जाय ।

(कार्यवाही - अधिशासी अभियन्ताआवास)

मद सं०(११):१३- मधुवन को-आपरेटिव हाउसिंग सांसायटी के लिए लखनऊ-सीतापुर मार्ग पर स्थित ग्राम पुरनिया में निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु कन्डोलिं अथापिटी, विनियमित क्षेत्र लखनऊ द्वारा गठित उप-समिति की रिपोर्ट दिनांक १२-८-७४ पर विचार किया गया । यह निश्चय किया गया कि इस मद को स्थगित किया जाय और इसे सम्बन्धित भू-चित्रों के साथ प्राधिकरण के समक्ष अगली बैठक में रखा जाय ।

( कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता आवास)

मद सं०(१२): १४- उत्तर प्रदेश आवाग एवं विकास परिषद की तालकटोरा गौड स्ट्रीट योजना के भू-उपयोग बदलने से सम्बन्धित मामले पर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा गठित उप-समिति की रिपोर्ट दि० १२-८-७४ के साथ विचार किया गया तथा उक्त उप-समिति की रिपोर्ट स्वीकार की गयी।

मद सं०(१३): १५- निर्देशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश के कार्यालय स्थित, वे गौड मार्ग प्रस्तुत भवन-चित्र पर लेन्ड यूज से कूट दिये जाने विषयक, उद्योग सचिव के अधिशासकीय पत्र संख्या ६३२२/१८-२२, दिनांक १६-१२-७४ पर विचार किया गया । यह निश्चय किया गया कि इस मद को भी एक उप-समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसमें उपाध्यक्ष के नामांकित सचिव विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य नगर तथा ग्राम नियोजक या उनके नामांकित हों जो महायोजना में प्रस्तावित मानदण्डों एवं भू-उपयोगों की जांच करके रिपोर्ट दें कि महायोजना कहां तक मसीचीन है । ( कार्यवाही - मुख्य अभियन्ता)

मद सं०(१४): १६- क्वीन्टन गौड स्थित जे पार्क सिनेमा भवन के बारे में श्री गतकुमार व अन्य को लेन्ड यूज से कूट दिये जाने तथा मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्राथमिक पर विचार किया गया । नगर अभियन्ता(भवन) ने बताया कि

क्रमशः

पंच द्वारा आर०ली०आर० उक्त की धारा १५(२) के अन्तर्गत दिनांक २१-६-७४ को कण्ट्रीला अथॉरिटी के समक्ष अपील की गयी थी । उक्त तिथि को आर० ली० आर० ऐक्ट मिलम्बित हो चुका था । यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति की जांच की जाय कि पंच की अपील इस समय लम्बित है या नहीं और पंच ने विकास प्राधिकरण के समक्ष अपना मामला किये रूप में लाने की प्रार्थना की है । इस सम्बन्ध में जो कानूनी स्थिति हो उससे विकास प्राधिकरण की अगली बैठक में अवगत कराया जाय ।

(कार्यवाही-नगर अभियन्ता(भवन)

मद सं०(१५): १७- अलीगंज मार्ग एवं नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि की प्रतिकर की दर निर्धारित किये जाने पर विचार किया गया । यह निश्चय किया गया कि उक्त योजना के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि की प्रतिकर की प्रस्तावित दर इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार की जाय कि यह प्रतिकर की अधिकतम सीमा मानी जायेगी।

( कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता(आवास)

मद सं०(१६) १८- हा० वी०एन० वर्मा रोड, अलीगंज बाई, में जपियत बिल्डिंग की जनरल सैक्रेट्री जपियत उलमाए, उ०ए०, लखनऊ द्वारा स्वीकृत मानचित्र की विरुद्ध अनधिकृत निर्माण करने के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि इस मामले में उपस्थित की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सक्षम है ।

( कार्यवाही-नगर अभियन्ता(भवन)

मद सं०(१७): १९- श्री म० दक्षिण मुतवल्ल शैब कादिर लख्ख हस्त गंग गकालगंज, चौगहे की निकट अनधिकृत दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि उपस्थित की इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

मद सं०(१८): २०- चारबाग में म्युनिसिपल गुरुनानक मार्केट के निकट इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के पश्चिम की ओर पड़े हुए खुले भू-भाग के ले आउट प्लान पर विचार किया गया । यह निश्चय किया गया कि चूंकि मास्टर प्लान में यह क्षेत्र आवासीय दिया गया है और इससे मिली हुई भूमि का मौजूदा प्रयोग व्यावसायिक एवं आवासीय है, अतः तत्सम्बन्ध में ले-आउट-प्लान को स्वीकार करने हुए उपलब्ध भूखण्डों को व्यावसायिक एवं आवासीय के रूप में देना जाना स्वीकार किया जाये ।

मद सं०(१९): २१- गांधी तट की सी०टी०आर०याई० से लेकर अलीगंज पुल तक की विस्तार योजना के लागू करने पर विचार किया गया तथा यह निश्चय किया गया कि इस योजना के प्रथम चरण में भूमि को समतल करने, रैलिंग लकड़ लगाने तथा अन्य सर्व फूल पदी लगाने का कार्य किया जाय। फिलहाल इन कार्यों के क्रमः

( ११ )

के लिए एक लाख रुपये का व्यय स्वीकृत किया जाय ।

२२- तदुपान्त विकास प्राधिकरण की बैठक, दिनांक १७ मार्च, १९७५ का  
प्रवान्त १०-०० लगे विकास प्राधिकरण के कार्यालय-भवन में आहूत होने तक  
के लिए, स्थगित की गयी ।

ह०- आ०आ०शाह,  
( आ०आ० शाह )  
प्रशासक, नगर महापालिका,  
तथा  
उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

ह०- पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी,  
( जी०एन० चतुर्वेदी )  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल,  
तथा  
अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।